

उपखण्ड अधिकारी  
शिव (वाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 180/2022

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मगाराम पुत्र सोनाराम 2. धर्माराम पुत्र हिमथाराम 3. माधाराम पुत्र हिमथाराम 4. नैनूदेवी पत्नी हिमथाराम जाति जाट, निवासी मेलू तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर हाल निवासी झाफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मगाराम पुत्र भोमाराम 2. लीखमाराम पुत्र भेराराम जाति जाट, निवासी गरल तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी पाबूनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. घेवरचन्द पुत्र राणामल जाति महाजन, निवासी पाबूनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. देरावरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 5. गिरधरसिंह पुत्र रिडमलसिंह 6. माधूसिंह पुत्र रिडमलसिंह 7. समदकंवर पत्नी रिडमलसिंह जाति राजपुत, निवासी पाबूनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव 10. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 05.07.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 266/168 रकबा 16.1874 हैक्टयर मौजा झाफलीकला, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 289/175, 293/175, 290/175, 407/291 रकबा क्रमशः 10.1171, 12.1406, 12.1406, 15.4589 हैक्टयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता ग्राम झाफलीकला से बालासर जाने वाली ग्रेवल सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 9 तथा 10 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 407/291, 290/175, 293/175, 289/175 रकबा क्रमशः 15.4589, 12.1406, 12.1406, 10.1171 हैक्टयर में से रकबा क्रमशः 0.3723, 0.1456, 0.1780, 0.0405 हैक्टयर कुल रकबा 0.7364 हैक्टयर भूमि उपयोग

उपखण्ड अधिकारी  
(बाड़मेर)



में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है एवं प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 04 गट्टा है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 407/291, 290/175, 293/175, 289/175 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 407/291 सरकारी खसरा है तथा अन्य खातेदारी खसरे है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 407/291, 290/175, 293/175, 289/175 रकबा क्रमशः 15.4589, 12.1406, 12.1406, 10.1171 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.3723, 0.1456, 0.1780, 0.0405 हैक्टेयर कुल रकबा 0.7364 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी तक अन्य विकल्प होने के संबंध में अंकन नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम विकल्प है तथा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 04 गट्टा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 266/168 रकबा 16.1874 हैक्टेयर मौजा झाफलीकला, पटवार मण्डल झाफलीकला, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 407/291, 290/175, 293/175, 289/175 रकबा क्रमशः 15.4589, 12.1406, 12.1406, 10.1171 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.3723, 0.1456, 0.1780, 0.0405 हैक्टेयर कुल रकबा 0.7364 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त ओदश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को सरे इजलास सुनाया

उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) शिव  
शिव (वाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) शिव  
शिव (वाड़मेर)